

PMFBY Crop-Insurance Claim & Appeal

दस्तावेज प्रकार : पत्र / नोटिस • तैयार किया गया 14 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसल-बीमा दावा — स्थानीय-आपदा या कटाई-उपरांत हानि सूचना, या मौसम-अंत दावा — और अस्वीकृत/कम दावे की अपील, हानि-आधार (उपज डेटा, फसल-कटाई प्रयोग, मौसम), साक्ष्य व बीमाकर्ता व कृषि विभाग को प्रस्तुतीकरण सहित यह टूल तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

लागू हानि-श्रेणी व सूचना-अवधि तय कर, सूचना/दावा-सामग्री (व अपील) तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

हानि-श्रेणी पहचान, सूचना-सामग्री व साक्ष्य-सूची का उपयोग सूचना-अवधि में बीमा-ऐप, टोल-फ्री, बैंक या CSC से PMFBY सूचना दर्ज करने, और दावा अस्वीकृत/कम होने पर बीमाकर्ता व जिला शिकायत समिति को तैयार अपील दाखिल करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

क्षेत्र/मौसम हेतु empanelled बीमा कंपनी, और कृषि विभाग / जिला-स्तरीय शिकायत समिति; फसल-बीमा ऐप, टोल-फ्री हेल्पलाइन, वित्तपोषक बैंक या CSC के माध्यम से सूचित।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

हानि सूचना अवधि में (स्थानीय/कटाई-उपरांत हानि हेतु सामान्यतः 72 घंटे में) फसल, क्षेत्र व हानि विवरण और साक्ष्य सहित दर्ज करें; मौसम-अंत दावा क्षेत्र-उपज/CCE डेटा अनुसार। अपील बीमाकर्ता व शिकायत समिति को।

इसकी जाँच किससे कराएँ

सूचना हेतु सामान्यतः पेशेवर आवश्यक नहीं; विवादित उपज या बड़े अस्वीकृत दावे हेतु कृषि-विशेषज्ञ या शिकायत-समिति प्रस्तुतीकरण हेतु वकील उपयुक्त।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

स्थानीय/कटाई-उपरांत हानि हेतु 72-घंटे सूचना-अवधि कठोर, और हानि-आधार भिन्न (व्यक्तिगत आकलन बनाम फसल-कटाई-प्रयोग क्षेत्र-उपज बनाम मौसम-सूचकांक); विलंबित या गलत-श्रेणीकृत सूचना दावा विफल करती है। बीमाकर्ता/कृषि विभाग से सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।